बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न

वर्तमान करदाता का जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण

भाग-कः- सामान्य जानकारी

1. मौजूदा करदाता कौन है?

मौजूदा करदाता निम्नांकित अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत संस्था/इकाई हैः-

(क) केंद्रीय आबकारी

(ख) सेवाकर

(ग) राज्य बिक्री कर/वैट (वैट के अंतर्गत पंजीकृत विशेष शराब विक्रेता को छोड़ कर)

(घ) प्रवेश कर

(ङ) विलासिता कर

(च) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाए जाने वाले को छोड़ कर)

2. जीएसटी सिस्टम पोर्टल के अंतर्गत 'एन्रोलमेंट' (पंजीकरण) का क्या अर्थ है?

जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत एन्रोलमेंट (पंजीकरण) का अर्थ है मौजूदा करदाताओं के डेटा का सत्यापन और बकाया महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को भरना।

3. क्या मुझे जीएसटी के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता है?

प्रश्न 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत सभी मौजूदा करदाताओं को जीएसटी में रुपांतरित किया जाएगा। जीएसटी के लिए

पंजीकरण जीएसटी व्यवस्था में सुचारू रूपांतरण सुनिश्चित करेगा। विभिन्न कर प्राधिकरणों के पास उपलब्ध आंकड़े अधूरे हैं और इसीलिए नए पंजीकरण की योजना बनाई गई है। इससे यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि जीएसटी डेटाबेस में अद्यतन आंकड़े उपलब्ध हैं और इसके लिए प्रक्रिया में कोई संशोधन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कर कानूनों के अंतर्गत डेटा अपडेट करने की वर्तमान में यही विधि है।

4. मुझे जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर यूजर के रूप में एनरोल करने की क्या आवश्यकता है?

जीएसटी सिस्टम पोर्टल इस प्रयोजन के लिए सृजित किया गया है क्योंकि किसी कागज आधारित एन्रोलमेंट की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आपको जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर एन्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि आप जीएसटी अनुपालन संबंधी आवश्यकताएं जैसे रिटर्न फाइल करना, टैक्स भुगतान करना आदि के लिए पंजीकरणकर्ता के रूप में सक्षम हो सकें।

5. मुझे जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर कब एन्रोल करने की आवश्यकता होगी?

प्रश्न 1 के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिनियमों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर एन्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर वर्णित योजना के अनुसार राज्य वैट और केंद्रीय आबकारी से सम्बद्ध करदाता अक्तूबर, 2016 से जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण प्रारंभ कर सकते हैं। सेवाकर के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं का पंजीकरण बाद में किसी तारीख से किया जाएगा, जिसकी जानकारी उन्हें अलग से भेजी जाएगी।

6. जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकृत समझे जाने की क्या कोई धारणा है?

नहीं। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर स्वतः पंजीकृत समझे जाने की कोई धारणा नहीं है। प्रश्न 1 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत किसी भी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सभी करदाताओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर जाएं और अपने आपको एन्रोल करें।

7. क्या जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर एन्रोलमेंट के लिए कोई शुल्क/प्रभार लगाया गया है?

नहीं। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर एन्रोलमेंट के लिए कोई शुल्क/प्रभार नहीं लगाया गया है।

8. क्या प्रश्न 1 में निर्दिष्ट केंद्रीय/राज्य/संघ शासित प्रदेश कर अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के लिए एन्रोलमेंट की प्रक्रिया अलग है?

नहीं। प्रश्न 1 में निर्दिष्ट केंद्रीय/राज्य/संघ शासित प्रदेश कर अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया एकसमान है।

9. क्या केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं को जीएसटी के अंतर्गत अलग अलग एन्रोल करना होगा?

नहीं। जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एन्रोल करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर आवेदन करना होगा। केंद्रीय और राज्य जीएसटी के लिए एकसमान पंजीकरण, एकसमान रिटर्न और एकसमान चालान होगा।

10. अस्थाई आईडी का प्रारूप क्या है?

जीएसटीआईएन का प्रारूप

22	एएएएए0000ए	1	जैड	5
राज्य कोड	स्थाई लेखा संख्या (पैन)	किसी राज्य में समान पैन धारक की संस्था संख्या	अल्फाबेट 'जैड' बाईडिफाल्ट	चैक सम डिजिट

11. जीएसटी के साथ एन्रोल की प्रक्रिया शुरू करने से पहले मेरे पास क्या जानकारी तत्काल उपलब्ध रहनी चाहिए?

जीएसटी सिस्टम पोर्टल के साथ एन्रोलिंग से पहले आपके पास निम्नांकित जानकारी/दस्तावेज अवश्य उपलब्ध होने चाहिएः-

(i) राज्य/केंद्रीय प्राधिकारियों से प्राप्त अस्थाई आईडी;

(ii) राज्य/केंद्रीय प्राधिकारियों से प्राप्त पासवर्ड;

(iii) वैध ईमेल अड्रैस;

(iv) वैध मोबाइल नम्बर;

(v) बैंक खाता संख्या;

(vi) बैंक आईएफएससी;

दस्तावेज

(क) व्यापार के विधान का साक्ष्यः

(i) साझीदार प्रतिष्ठान के मामले मेः साझीदार प्रतिष्ठान का साझेदारी विलेख (अधिकतम 1 एमबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

(ii) अन्य के मामले मेः व्यापारिक संस्था का पंजीकरण प्रमाणपत्र (अधिकतम 1 एमबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

(ख) प्रोन्नतकर्ताओं/साझीदारों/हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता का फोटोग्राफ (अधिकतम 100 केबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

(ग) प्राधिकृत हस्ताक्षरी की नियुक्ति का साक्ष्य (अधिकतम 1 एमबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

(घ) प्राधिकृत हस्ताक्षरी का फोटोग्राफ (अधिकतम 100 केबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

(ङ) बैंक पासपुक का प्रथम पृष्ठ/बैंक खाता संख्यायुक्त विवरण

(च) < खाता संख्या>, शाखा का पता, खाताधारक का पता और लेनदेन संबंधी कुछ ब्यौरे (अधिकतम 1 एमबी आकार में पीडीएफ और जेपीईजी फार्मेट में)

भाग-ख - सिस्टम संबंधी जानकारी

12. पहली बार लॉगिन करते समय मुझे कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी? क्या मैं उसी यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूं, जिसे मैं राज्य करदाता के रूप में करता रहा हूं?

पहली दफा लॉगिन करने के लिए आपको राज्य वैट/केंद्रीय कर विभाग से प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। परवर्ती लॉगिन के लिए आपको

जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण करते समय आपके द्वारा सृजित किए गए पासवर्ड और यूजर नेम का इस्तेमाल करना होगा।

13. प्रथम लॉगिन के बाद मैं कौन सी यूजर आईडी का चयन कर सकता हूं?

आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी यूजर आईडी का चयन कर सकते हैं, बशर्ते वह यूजर आईडी आपके पंजीकरण करने के समय डेटाबेस में उपलब्ध हो।

14. मुझे जीएसटी के साथ पंजीकरण के लिए कोई यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अब कैसे ये चीजें पा सकता हूं?

अगर आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने क्षेत्र से सम्बद्ध राज्य/केंद्रीय प्राधिकारियों से सम्पर्क करें।

15. जीएसटी के साथ पंजीकरण के दौरान क्या मैं अपने कर व्यवसायी का ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर दे सकता हूं?

नहीं। आपको अपने कर व्यवसायी अथवा किसी भी अन्य व्यक्ति का ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर नहीं देना चाहिए। आपको या तो स्वयं का अथवा आपके द्वारा नियुक्त प्राथमिक अधिकृत हस्ताक्षरी का ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर अवश्य देना चाहिए। जीएसटी सिस्टम पोर्टल के साथ सभी भावी पत्राचार/सूचना सम्प्रेषण केवल आपके मोबाइल नम्बर और ईमेल अड्रैस पर किया जाएगा।

कर व्यवसायी को जीएसटी सिस्टम से पृथक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा और उक्त प्रयोजन के लिए वे स्वयं का ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर प्रदान करेंगे।

16. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी कौन हो सकता है?

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी वह व्यक्ति है, जो जीएसटी प्रणाली पोर्टल पर करदाता की ओर से कार्रवाई करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार हो। करदाता से संबंधित सभी जानकारी जीएसटी सिस्टम पोर्टल द्वारा उसे भेजी जाएगीः- प्रोप्राइटर के मामले में, स्वयं प्रोप्राइटर अथवा इसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति, साझेदारी के मामले में कोई भी अधिकृत साझीदार अथवा कोई अन्य अधिकृत व्यक्ति और कम्पनी/एलएलपी, समिति, न्यास के मामले में बोर्ड या कार्यकारिणी द्वारा अधिकृत व्यक्ति मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में काम कर सकता है। प्राधिकरण प्रपत्र की प्रति वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

एकल व्यापार संस्था के लिए एक से अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरी के मामले में, एक प्राधिकृत हस्ताक्षरी को प्रमुख प्राधिकृत हस्ताक्षरी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उस व्यक्ति का ईमेल आईडी और मोबाइल नम्बर पंजीकरण के समय प्रदान किया जाना चाहिए।

एकल व्यापार संस्था के लिए एकल प्राधिकृत हस्ताक्षरी होने की स्थिति में, उसे उस व्यापारिक निकाय के लिए प्रमुख प्राधिकृत हस्ताक्षरी समझा जाएगा।

17. ओटीपी कितनी अवधि के लिए वैध होगा?

आपके ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी 15 मिनट के लिए वैध होता है। 15 मिनट बाद उसका प्रभाव खत्म हो जाता है।

18. मुझे अपने मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त नहीं हुआ है। मैं अब क्या कर सकता हूं?

आपका ओटीपी जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध आपके पंजीकृत मोबाइल नम्बर और इमेल अड्रैस पर भेजा जाएगा। यदि आपको 15 मिनट के भीतर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है, तो आप **रीसैंड ओटीपी** बटन पर क्लिक करके उसे प्राप्त कर सकते हैं।

19. यदि रीसैंड ओटीपी पर क्लिक करने के बाद भी मुझे ओटीपी प्राप्त न हो, तो मुझे क्या करना चाहिए?

यदि रीसैंड ओटीपी बटन क्लिक करने के बाद भी आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए ओटीपी प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया इस बात की जांच करें कि आपने जो मोबाइल नम्बर प्रदान किया है, क्या वह सही है?

यदि रीसैंड ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद भी आपके ईमेल अड्रैस पर ओटीपी प्राप्त नहीं होता है, तो कृपया अपना ईमेल आईडी जांच करें और यह भी देखें कि इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा है।

20. मुझे ईमेल और मोबाइल पर अलग अलग दो वन टाइम पासवर्ड (ओटीपीज़) क्यों प्राप्त होते हैं?

इमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर पर अलग अलग ओटीपी भेजे जाते हैं, ताकि उनकी वैधता का पता लग सके। इसलिए दो अलग अलग ओटीपी भेजे जाते हैं।

जीएसटी सिस्टम पोर्टल से सभी भावी पत्राचार केवल पंजीकृत ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर पर भेजे जाते हैं। इसलिए दोनों मोबाइल नम्बर और ईमेल अड्रैस का सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ती है।

21. मुझे मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हुआ है। मैंने उसी ओटीपी को इमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन पेज पर प्रविष्ट कर दिया। क्या ये ओटीपी अलग अलग हैं?

आपको दो अलग अलग वन टाइम पासवर्ड (ओटीपीज़) आपके ईमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर पर अवश्य प्राप्त होंगे। आपको ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी दोनों को क्रमशः ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी के लिए बनाए गए अलग अलग क्षेत्रों में प्रविष्ट करना होगा। अगर आप ईमेल और मोबाइल ओटीपी क्षेत्रों में एक ही ओटीपी प्रविष्ट करेंगे, तो आपका वेलिडेशन विफल हो जाएगा और त्रुटि संदेश प्राप्त होगा।

22. जीएसटी के लिए पंजीकरण करते समय प्रवेश आवेदन में कौन से ब्यौरे पहले से भरे होते हैं?

आपके वर्तमान डेटा के आधार पर निम्नांकित विवरण प्रवेश आवेदन में स्वतः प्रकट होते हैः-

- व्यापार का पैन
- व्यापार का कानूनी नाम
- राज्य
- पंजीकरण प्राप्त करने के लिए दायित्व का कारण
- प्रमुख प्राधिकृत हस्ताक्षरी का इमेल अड्रैस और मोबाइल नम्बर, जो जीएसटी सिस्टम पोर्टल के साथ पंजीकरण के दौरान दर्ज किए गए थे।

23. पंजीकरण आवेदन में कालमों के साथ दिखाई देने वाले लाल तारा चिह्न (*) क्या दर्शाते हैं?

लाल तारा चिह्न (*) अनिवार्य क्षेत्रों को दर्शाते हैं। प्रवेश आवेदन में आगे बढ़ने से पहले लाल तारा चिह्न अंकित कोई भी कालम यह दर्शाता है कि इसे अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए।

24. क्या मैं प्रवेश आवेदन में अपने लीगल नेम, स्टेट नेम और पैन में परिवर्तन कर सकता हूं?

आप पंजीकरण आवेदन में प्रकट होने वाले लीगल नेम (वैधानिक नाम), राज्य नाम और पैन में कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये ब्यौरे राज्य या केंद्र, जो भी लागू हो, की वर्तमान कर प्रणालियों से लिए जाते हैं।

25. मैं अपने राज्य अधिकार क्षेत्र का पता कैसे लगा सकता/सकती हूं?

अपने राज्य अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए कृपया अपना वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र देखें। यह वही अधिकार क्षेत्र है, जैसा कि आपके वर्तमान वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दिया गया है।

26. मैं अपने वार्ड/सर्कल/सेक्टर नम्बर का पता कैसे लगा सकता हूं?

अपने वार्ड/सर्कल/सेक्टर नम्बर का पता लगाने के लिए कृपया अपना वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र देखें। यह वही वार्ड/सर्कल/सेक्टर नम्बर है, जैसा कि आपके वर्तमान वैट पंजीकरण प्रमाणपत्र पर दिया गया है।

27. मैं अपने सेंट्रल (केंद्रीय) अधिकार क्षेत्र का पता कैसे लगा सकता हूं?

यदि आप केंद्रीय आबकारी के लिए पंजीकृत हैं, तो अपने केंद्रीय अधिकार क्षेत्र का पता लगाने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र देखें।

यदि आप केवल वैट पंजीकृत व्यापारी हैं, तो आपको अपने केंद्रीय प्राधिकार क्षेत्र का पता लगाना होगा, जो आपके व्यापार के प्रमुख स्थान के पते के आधार पर दिया जाता है। आप अधिक ब्यौरे जानने के लिए सीबीईसी वेबसाइट www.cbec.gov.in पर लागआन कर सकते हैं।

(देखें यूआरएल - http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/deptt_offcr/cadre-restruct/cadre-restructg-notifications.pdf)

28. मैं कोई दस्तावेज अपलोड नहीं कर सकता हूं, क्यों?

आपको सबसे पहले अपनी इंटरनेट कनेक्टिविटी की जांच करनी चाहिए। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दस्तावेज का प्रारूप अनिवार्य रूप से पीडीएफ या जेपीईजी फार्मेट में अधिकतम 1 एमबी आकार का होना चाहिए। फोटोग्राफ के मामले में, फार्मेट जेपीईजी होना चाहिए और अधिकतम 100 केबी आकार की अनुमति दी गई है।

29. मैंने फार्म भरते समय बिजनेस डिटेल्स पेज पर सभी ब्यौरे भरे थे। परंतु, अब सभी फील्ड खाली दिखाई दे रहे हैं, क्यों?

सभी ब्यौरे भरने के बाद आपको प्रत्येक पेज पर सेव करना होता है। पेज के नीचे सेव एंड कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें ताकि भरे गए समूचे ब्यौरे को सेव किया जा सके और फिर अन्य टैब्स में ब्यौरे दर्ज करने के लिए आगे बढ़ें।

30. डीआईएन क्या है?

डीआईएन का अर्थ है, डायरेक्टर आईडेंटिफिकेशन नम्बर, जो कोर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा किसी कम्पनी के निदेशकों को दिया जाता है। अपने डीआईएन का पता लगाने के लिए कृपया कोर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी अपना डीआईएन आवंटन पत्र देखें या एमसीए पोर्टल - www.mca.gov.in पर विजिट करें।

31. मेरे पास आधार संख्या नहीं है। क्या आधार संख्या प्रदान करना अनिवार्य है?

पंजीकरण आवेदन भरने के लिए आधार संख्या अनिवार्य नहीं है। परंतु, जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर अपना पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करते समय आपको डीएससी या ई-साइनिंग पर आधारित आधार इस्तेमाल करना होगा।

32. व्यापार का प्रमुख स्थान क्या है?

व्यापार के प्रमुख स्थान का अर्थ है, जहां व्यापार की लेखा बहियों और रिकार्ड को रखा जाता है तथा जहां अक्सर कम्पनी का प्रमुख या कम से कम शीर्ष प्रबंधन पदाधिकारी विद्‌यमान होता है।

33. व्यापार का अतिरिक्त स्थान क्या है?

व्यापार के अतिरिक्त स्थान का अर्थ है, ऐसा स्थान, जहां करदाता राज्य में प्रमुख स्थान के अलावा व्यापार गतिविधियां संचालित करता हो।

34. एचएसएन और एसएसी कोड क्या हैं?

एचएसएन का अर्थ है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम आफ नोमेनकल्चर, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत प्रोडक्ट कोडिंग सिस्टम है, जिससे वस्तुओं के वर्गीकरण में एक समानता बनाए रखी जाती है।

सर्विस अकाउंटिंग कोड्स (एसएसी) सेवाओं की पहचान के लिए केंद्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्‌वारा अपनाए जाते हैं।

35. जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण करते समय मुझे कौन सा बैंक खाता प्रदान करना चाहिए?

व्यापारिक लेनदेन करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण करते समय अवश्य प्रदान की जानी चाहिए।

36. मेरे एक से अधिक बैंक खाते हैं। क्या मैं जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण करते समय उन सभी को दर्ज कर सकता हूं?

जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण करते समय आप अधिकतम दस बैंक खातों का ब्यौरा दे सकते हैं।

37. क्या डीएससी पंजीकरण के लिए अनिवार्य है?

डीएससी कम्पनियों, विदेशी कम्पनियों, सीमित देयता साझेदारी (एलएलपीज़) और विदेशी सीमित देयता साझेदारी (एफएलएलपी) द्वारा पंजीकरण के लिए अनिवार्य है।

अन्य करदाताओं के लिए डीएससी वैकल्पिक है।

38. मेरा डीएससी जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। क्या मैं डीएससी के साथ अपना पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत कर सकता हूं?

यदि आपका डीएससी जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो आप पंजीकरण आवेदन जमा नहीं कर सकते। अतः आपको ''रजिस्टर योअर डीएससी''

पर क्लिक करते हुए जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर अपना डीएससी पंजीकृत करने की आवश्यकता होती है।

39. मैं जीएसटी पोर्टल पर अपना डीएससी कैसे पंजीकृत कर सकता हूं?

यदि आपके पास वैध डीएससी है, तो आप जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं और ‘‘रजिस्टर योअर डीएससी’’ लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। डीएससी धारक का पैन सीबीडीटी के पैन डेटाबेस के साथ मेल खाना चाहिए। वेलिडेशन के बाद यूज़र को उस सर्टिफिकेट लिंक का चयन करना चाहिए, जो पंजीकृत किया जाना है। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर केवल क्लास-2 अथवा क्लास-3 डीएससी पंजीकृत किए जा सकते हैं।

40. ई-साइन क्या है? यह कैसे काम करता है?

ई-साइन का अर्थ है, इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर। ई-साइन एक आनलाइन इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सेवा है, जो आधारधारक को किसी दस्तावेज पर डिजिटल रूप में हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करती है। यदि आवेदक ई-साइन सेवा का इस्तेमाल करते हुए इलेक्ट्रोनिक रूप में हस्ताक्षर करने का विकल्प अपनाता है, तो निम्नांकित कार्य निष्पादित होंगेः-

करदाता को ‘‘ई-साइन’’ बटन क्लिक करना होगा।

सिस्टम अधिकृत हस्ताक्षरी की आधार संख्या दर्ज करने को कहेगा।

1. आधार संख्या वेलिडेटिंग करने के बाद, जीएसटी सिस्टम पोर्टल यूआईडीएआई सिस्टम को अनुरोध करेगा कि वह वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) भेजे।
2. यूआईडीएआई सिस्टम आधार संख्या के साथ पंजीकृत मोबाइल नम्बर और ईमेल अड्रैस पर ओटीपी भेजेगा।

सिस्टम इस्तेमालकर्ता को ओटीपी एंटर करने के लिए प्रेरित करेगा।

इस्तेमालकर्ता ओटीपी एंटर करेगा और दस्तावेज सबमिट करेगा। इस तरह ई-साइनिंग प्रक्रिया पूरी होगी।

41. क्या पंजीकरण के लिए आवेदन जमा कराने हेतु कोई शुल्क लागू होता है?

नहीं। जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क लागू नहीं होता है।

42. एआरएन क्या है?

एआरएन का अर्थ है, अप्लीकेशन रेफ्रेंस नम्बर, जो ई-साइन या डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) के साथ पंजीकरण आवेदन जमा कराने के बाद सृजित होता है। यह जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर प्रत्येक लेनदेन पूरा करने के लिए प्रदान किया जाने वाला एक बेजोड़ नम्बर होता है। ध्यान रखें कि एआरएन का इस्तेमाल जीएसटीएन के साथ भविष्य में पत्राचार के लिए किया जा सकता है।

43. एआरएन का फार्मेट क्या है?

एआरएन का फार्मेट					
एए	07	07	16	000000	1
अल्फाबेट्स	स्टेट कोड	महीना	वर्ष	छह अंकों का सिस्टम सृजित कोड	चेक सम डिजिट

44.1 मैं केंद्रीय आबकारी/सेवा कर और राज्य वैट कानूनों के अंतर्गत एक वर्तमान पंजीकृत करदाता हूं। मैंने मॉडल जीएसटी कानून के अंतर्गत निर्धारित आवेदन के अनुसार जीएसटीएन द्वारा मांगी गई जानकारी सफलतापूर्वक जमा करा दी है। अब इससे आगे क्या होगा?

जीसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद अप्लीकेशन रेफ्रेंस नम्बर (एआरएन) सृजित होगा। आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगाने के लिए इस एआरएन का इस्तेमाल कर सकते हैं।

45. मुझे अप्लीकेशन रेफ्रेंस नम्बर (एआरएन) अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे अब क्या करना चाहिए?

यदि आपको 15 मिनट के भीतर एआरएन प्राप्त नहीं होता है, तो भावी कार्रवाई के लिए विस्तृत अनुदेशों के साथ आपको एक ईमेल भेजा जाएगा।

46. ब्यौरा भरते समय, इंटरनेट कनेक्शन कट गया। मैं सेव किए गए पंजीकरण फार्म को रिट्रीव कैसे कर सकता हूं?

सेव किए गए पंजीकरण फार्म को रिट्रीव (पुनः प्राप्त) करने के लिए, वैध प्रत्यय-पत्रों के साथ जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड > माइ सेव्ड अप्लीकेशन मेनू पर जाएं। सेव किए गए पंजीकरण फार्म को रिट्रीव करने के लिए एडिट बटन पर क्लिक करें।

47. मुझे पैन वेलिडेशन (सत्यापन) के दौरान ईमेल प्राप्त हुआ कि कुछ मिसमैच (असंगत) है। अब मुझे क्या करना चाहिए?

आपको जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपने पैन विवरण के अनुसार ब्यौरे भरने होंगे तथा पंजीकरण आवेदन पुनः सबमिट करना होगा।

48. मेरा डीएससी समाप्त/निरस्त हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिए।

आपको जीएसटी के साथ अपना वैध डीएससी पुनः पंजीकृत करने की आवश्यकता है। वैध प्रत्यय-पत्रों के साथ जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करें। डैशबोर्ड > रजिस्टर/अपडेट डीएससी मेनू पर जाएं। निरसन के मामले में, जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर अन्य वैध डीएससी पंजीकृत करना होगा।

49. क्या कोई हेल्प डेस्क फेसिलिटी उपलब्ध है?

हां, हेल्प डेस्क फेसिलिटी उपलब्ध होगी और इसे जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर दर्शाया जाएगा।

भाग-गः- नियत तारीख के बाद की गतिविधियां

50. क्या पंजीकरण के लिए आवेदन रद्द किया जा सकता है?

हां, यदि आपने अपने डीएससी या ई-साइन के साथ कोई गलत या जाली या असत्य दस्तावेज प्रविष्ट/अपलोड किया है, तो जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन रद्द किया जा सकता है। परंतु, आवेदक को सुनवाई का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, जहां आवेदक करदाता अपनी बात कह सकेगा।

51. क्या पंजीकरण आवेदन जमा कराने के उपरांत मैं अपने आवेदन में कुछ संशोधन कर सकता हूं?

आप नियत दिन से ही अपने पंजीकरण आवेदन में ही संशोधन कर सकते हैं।

52. क्या मैं पंजीकरण आवेदन के समय दिए गए मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी को बदल सकता हूं?

आप संशोधन प्रक्रिया के जरिए आवेदन पंजीकरण के समय दिए गए मोबाइल नम्बर और ईमेल आईडी में परिवर्तन नियत तारीख के बाद कर सकते हैं।

53. मैं अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त कर सकता हूं?

यदि आपने पंजीकरण आवेदन सफलतापूर्वक भर दिया है, तो आप नियत तारीख पर अपने डैशबोर्ड पर उपलब्ध अस्थाई पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकते हैं।

54. मुझे अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र कब प्राप्त होगा?

केंद्र/राज्य के सम्बद्ध अधिकार क्षेत्र के समुचित अधिकारी(यों) द्वारा दस्तावेज की जांच (छह महीने के भीतर) के बाद नियत तारीख को आपको अंतिम पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

भाग-घः विविध

55. मैं एक समान पैन के अंतर्गत किसी राज्य में एकाधिक व्यापार संचालित करता हूं। क्या मुझे प्रत्येक व्यापार के लिए अलग अलग जीएसटीएन पर पंजीकरण करना होगा?

किसी राज्य में एक पैन पर चूंकि एक ही जीएसटी पंजीकरण की अनुमति है, अतः आपको पहले एक व्यापार संस्था पंजीकृत करनी होगी। राज्य के भीतर शेष व्यापार शीर्षों के लिए कृपया अपने अधिकार क्षेत्र संबंधी प्राधिकारी से सम्पर्क करें।

56. आईएसडी पंजीकरण क्या है?

आईएसडी का अर्थ है इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इन्पुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो हेड आफिस, उसकी शाखाओं, जहां सेवाओं की वास्तव में आपूर्ति की गई हो, में प्राप्त सेवाओं के कर संबंधी चालानों के संदर्भ में ऋण वितरित करता है। यदि आप वर्तमान आईएसडी करदाता हैं, तो यहां कर चालान का अर्थ है, मॉडल वस्तु एवं सेवा अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत जारी चालान, यदि आप वर्तमान आईएसडी करदाता हैं, तो आपको उस राज्य के लिए जीएसटी सिस्टम पोर्टल पर फिर से आवेदन करना होगा, जिसमें आप पंजीकरण

करने के इच्छुक हैं। इसके लिए आपको अपने केंद्रीय अधिकार क्षेत्र संबंधी प्राधिकारी को सूचित करना होगा।